भारत सरकार

आयुक्तालय, केंद्रीय कर, सीजीएसटी, लेखापरीक्षा-1, दिल्ली

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST AUDIT-I DELHI

सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

C. R. BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

C. No. II-39(24)/GST/dt-1 /spl.Audit/2019-20 Dated: 03.10.2019

प्रति

1. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
   इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
   5वीं मंजिल, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग
   नई दिल्ली-1100002

2. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
   इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया
   नई दिल्ली-110003
3. वेबसाइट

विषय: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी करदाताओं/निर्धारणों की लेखापरीक्षा के लिए सीए/आईसीडब्ल्यूए को पैनल में शामिल करना।

केंद्रीय माल एवं सेवाकर (सीजीएसटी) लेखापरीक्षा-1, नई दिल्ली ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14एए एवं जैसा कि वित्त अधिनियम 1944 की धारा 83 के अंतर्गत लागू सेवाकर, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 72A, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 66 की धारा के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी निर्धारितियों की पहचान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कॉस्ट एकाउंटेंट्स द्वारा विशेष लेखा परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए, अनुभवी और अभ्यास करने वाले सीए/आईसीडब्ल्यूए को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है जिन्हें लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है।

2. इस संबंध में, कृपया इच्छुक और पात्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/ कॉस्ट एकाउंटेंट्स से "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" के लिए एक सूचना संलग्न करें। यह अनुरोध किया जाता है कि अपने सदस्यों के बीच सूचना पहुँचने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। अनुरोध है कि ई-मेल, एसएमएस भेजकर तथा अपनी पत्रिका आदि में प्रकाशित कर पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2019 है।

आपका विश्वासी

(शुभगत कुमार)
आयुक्त

भारत सरकार

आयुक्तालय, केंद्रीय कर, सीजीएसटी, लेखापरीक्षा-1, दिल्ली

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST AUDIT-I DELHI

सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

C. R. BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

C. No. II-39(24)/GST/dt-1 /spl.Audit/2019-20 Dated: 03.10.2019

"अभिरुचि की अभिव्यक्ति" के लिए एक सूचना

विषय: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी करदाताओं/निर्धारणों की लेखापरीक्षा के लिए सीए/आईसीडब्ल्यूए को पैनल में शामिल करना।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कॉस्ट एकाउंटेंट्स का ध्यान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 14AA के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जैसा कि वित्त अधिनियम 1944 की धारा 83, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 72A और धारा 66 के तहत सेवा कर पर लागू होता है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017. सीजीएसटी, लेखा परीक्षा-1 आयुक्तालय, नई दिल्ली ने उक्त धारा के अंतर्गत उल्लेखित केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी के खाते की विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

2. **पात्रता:** उक्त लेखापरीक्षा के लिए नामांकित होने के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति/फर्म को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। आवेदक फर्म/व्यक्ति को चाहिए:

i) सीए / आईसीडब्ल्यूए का सदस्य होना चाहिए और संबंधित संस्थानों द्वारा जारी वैध पूर्णकालिक अभ्यास प्रमाण पत्र होना चाहिए;

ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर/जीएसटी मामलों के क्षेत्र में कम से कम पांच साल के अभ्यास का अनुभव;

iii) पिछले पांच वर्षों के दौरान लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (संशोधित) या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 (संशोधित) के अंतर्गत किसी भी पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है या वित्त अधिनियम 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या केंद्रीय के अध्याय V, उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत दंडित नहीं किया गया है।

iv) सेवा कर कानून या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत किसी भी उल्लंघन के लिए सीबीआईसी या उसके किसी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किसी भी जांच या जांच का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

3. चयन प्रक्रिया: चयन इस प्रकार होगा-

i) अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुक्त द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जायेगी। आवेदक का चयन करने के लिए मूल मानदंड केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी मामलों में लेखा परीक्षा/परामर्श/प्रतिनिधित्व में अनुभव होगा। चयनित उम्मीदवार को अंतिम पैनल में शामिल करने के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति द्वारा साक्षात्कार/चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम पैनल को अधिसूचित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जा सकता है।
ii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों में से, विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर फर्म/व्यक्ति को लेखापरीक्षा आवंटित किया जाएगा। उनके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करके उनके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी।
iii) ऊपर बनाया गया पैनल दो साल की अवधि के लिए लागू होगा। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पैनल में नए व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है।

4. कर्तव्य और दायित्व: विशेष लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नामित व्यक्ति/फर्म के निम्नलिखित कर्तव्य और दायित्व होने चाहिए:
i) लेखापरीक्षा सीजीएसटी, लेखापरीक्षा -1 के आयुक्त द्वारा सूचित संदर्भ की शर्तों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
ii) लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करने के लिए शाखा कार्यालय / केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर / जीएसटी निर्धारण के मुख्यालय सहित कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें सीजीएसटी के कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को मँगवाने और उनकी जांच करने के लिए अपेक्षित प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
iii) लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, लेखा परीक्षा करने के लिए विभाग के अधिकारी नामित सीए/आईसीडब्ल्यूए की लेखापरीक्षा टीम में भी शामिल होंगे।
iv) लेखापरीक्षक, सीजीएसटी लेखा परीक्षा -1 के आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे लेखा परीक्षा की एक रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित और उसके द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा योजना, सत्यापित दस्तावेजों के विवरण, सत्यापन के परिणाम, सेनवेट क्रेडिट का कम आरोपण/गलत लाभ आदि सहित लेखापरीक्षा का पूरा विवरण प्रदान किया जाएगा। विधिवत परिमाणित और उनकी टिप्पणियों के साथ। विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए नमूना दस्तावेजों की विधिवत प्रमाणित प्रतियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएंगी।
v) नामित व्यक्ति/फर्म को किसी भी तरह से उस निर्धारिती का प्रतिनिधित्व या सलाह नहीं देनी चाहिए, जिसकी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किसी भी क्षेत्र में जैसे खातों के रखरखाव, लेखा परीक्षा, कर परामर्श, किसी अन्य परामर्श, प्रतिनिधित्व आदि में की जाती है। और इसलिए हितों के टकराव की स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा के लिए एक विशेष निर्धारिती को सौंपते समय इस पहलू का सत्यापन किया जाएगा और विशेष लेखा परीक्षा को स्वीकार करने से पहले इस संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विभाग लेखापरीक्षक को किसी स्पष्टीकरण के लिए बुला सकता है या उन्हें लेखा परीक्षा पूरा करने के लिए कह सकता है, अगर यह पाया जाता है कि विशेष क्षेत्र की ठीक से जांच नहीं की गई है।
vi) पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट यूनिटों के आवंटन के समय एक घोषणा-पत्र देंगे कि वे विशेष लेखा परीक्षा के लिए उन्हें आवंटित यूनिटों की वैधानिक लेखा परीक्षा नहीं कर सकते हैं और उस अवधि के दौरान भी वे लेखा परीक्षा-1, सीजीएसटी दिल्ली विभाग के पैनल में हैं।
vii) लेखापरीक्षक किसी भी कनिष्ठ कर्मचारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/जीएसटी लेखा परीक्षा में विभाग द्वारा लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति के शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव का संक्षिप्त वर्णन (सीवी) के उचित अनुमोदन के बिना संबद्ध नहीं करेगा।

5. आवेदकों का विवरण: ऐसे विशेष लेखा परीक्षा के लिए पैनल में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म संलग्न प्रीफॉर्मेट में आवेदन करेंगे। रुचि की अभिव्यक्ति "आयुक्त, सीजीएसटी दिल्ली लेखा परीक्षा -1, आयुक्तालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आईपी एस्टेट नई दिल्ली -110019" को संबोधित की जा सकती है।

6. शुल्क की अनुसूची: इस प्रकार नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत खाते विशेष लेखा परीक्षा के अंतर्गत यूनिट के आकार के आधार पर शुल्क के हकदार हैं, सीबीआईसी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, देय शुल्क की राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	2018-2019 के दौरान यूनिट द्वारा भुगतान किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर / जीएसटी शुल्क	राशि
1	रुपये तक 10 करोड़ रुपये	15,000/-
2	रु. 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये	25,000/-
3	रु. 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये	35,000/-
4	रु. 200 करोड़ और उससे अधिक	50,000/-

नामांकित व्यक्ति भी लागू निर्देशों के अनुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार है। चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने के भीतर उचित वाउचर आदि के साथ अपना बिल जमा करेंगे।

7. सामान्य:

i) विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी भी सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार का चयन करना आयुक्त, सीजीएसटी लेखा परीक्षा-1 आयुक्तालय, दिल्ली का पूर्ण विवेकाधिकार है।

ii) कार्यालय के पास इस प्रकार बनाए गए पैनल से किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखापाल का नाम हटाने का अधिकार भी सुरक्षित है, जैसा कि उचित समझा जाए और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।

iii) कार्यालय बिना कोई कारण बताए रुचि पत्र को रद्द/वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.0219 है

आपका विश्वासी

(शुभगत कुमार)
आयुक्त

अनुलग्नक

सीजीएसटी, लेखा परीक्षा आयुक्तालय में विशेष लेखा परीक्षक के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन के लिए प्रपत्र

1. व्यक्ति/फर्म का नाम और पता। फर्म के मामले में, कृपया भागीदारों की कुल संख्या और भागीदारों के नाम भी प्रदान करें जो इस कार्य में संलग्न होंगे।
2. पैन- स्थायी खाता संख्या।
3. संस्थान के सदस्य बनने की तिथि के साथ आईसीडब्ल्यूए/आईसीएआई की सदस्यता संख्या।
4. इंडिवियल के मामले में जन्म तिथि और फर्म के मामले में निगमन की तिथि।
5. पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर/मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित।
6. सदस्य की शैक्षिक योग्यता, जो इस कार्य में संलग्न होगा।
7. पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी मुद्दों जैसे सलाहकार, लेखा परीक्षा, प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभव आदि को संभालने का अनुभव। कृपया लिखना छोड़ दें।
8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी मामलों के संबंध में पत्रिकाओं/समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित मामलों/लेखों की संख्या।
9. 2018-19 के दौरान पेशेवर अभ्यास से सकल प्राप्ति

सत्यापन

1. ---------- ---------- मैसर्स के मालिक/साझेदार ---------- मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक: हस्ताक्षर

जगह: